उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आबंटन

6725. **श्री ईश दत्त यादव :**

चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लेवी चीनी और अन्य वस्तुओं की मांग तथा उनकी राज्य को वास्तविक आपूर्ति का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रधानमंत्री की योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कतिपय खण्डों की पहचान कर ली गई है ?

नागरिकआपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश द्वारा मांगी गई चावल तथा गेहूं की मात्रा तथा उन्हें आबंटित मात्रा नीचे दी गई है :—

(हजार मी. टन में)

वर्ष	चावल		गेहूं	
	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
1993–94	738.40	536.60	1295.40	972.60
1994–95	549.60	549.60	1185.60	1185.60

मिट्टी का तेल कम मात्रा में उपलब्ध उत्पाद है और केन्द्रीय पूल में स्टाक उपलब्ध होने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इसका वितरण राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को आबंटित मिट्टी के तेल की मात्रा इस प्रकार है :—

(हजार मी. टन में)

वर्ष	मात्रा
1993—94 . .	961.51
1994—95 . .	1014.67

(ग) जी, हां। इस समय उत्तर प्रदेश में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 145 ब्लाक आते हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए अभिप्रेत खाद्यान्न विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर जारी किए जाते हैं, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से प्रति क्विंटल 50/– रु० कम हैं।

आयातित पामोलीन की बिक्री

6726. **श्री अजीत जोगी :**

श्री मूलचन्द मीणा :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित पामोलीन की समस्त मात्रा बेच दी गयी है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चूंकि यह महंगा पड़ता है, अतः कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है; और

(घ) सरकार ने वर्तमान स्टाक बेचने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर०बी०डी० पामोलीन का आयात करने की कार्यवाही में लगा हुआ है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान उन्हें किए गए आबंटनों के प्रति केन्द्रीय पूल से उठाया जा रहा है।

(ग) अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य पामोलीन की आपूर्ति करने की मांग प्राप्त हुई है और तद्नुसार तेल को निर्मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

Rise in consumer complaints in National consumer commission

6727. SHRI SANJAY DALMIA:

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: .

MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be. pleased to state:

(a) whether the number of consumer complaints are rising in the National Consumer Commission;

(b) if so, the number of cases pending in this forum and since when;

(c) the reasons for the accumulation of these cases;

(d) whether the members of various Commissions are not attending the meetings regularly;

(e) if so, the number of members *of* the Commissions who did not attend the meetings consecutively three times in the last one year:

(f) whether there is any proposal to remove members from the Commis-sions who do not attend the meetings consecutively three times; and

(g) if so, the details thereof and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) According to the information received from the National Consumer Disputes Redressal Commission, the total number of pending cases is 2,282 as on 31-3-95,

(c) According to the Consumer Protection Rules, 1987, the National Commission is required to decide a case, as far as possible, within a period of three months from the date of notice received by the opposite party where the complaint does not require analysis or testing of com-modlities. Some of the pending cases could not be disposed of within the said time due to stay orders passed by the Supreme Court or need for securing expert opinion regarding al-leged defects in the goods. Most of such cases invoive complicated legal and factual issues which can be datermined only after careful deliberation in the light of extensive oral as well as docunentary evidence-

(d) No, Sir'

(e) to (g) Do me arise.